

विचार बिन्दु

मूर्ति के समान मनुष्य का जीवन सभी ओर से सुन्दर होना चाहिए। –सुकरात

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥ -ईशावास्योपनिषद

संविधान की उद्देशिका में ‘समाजवाद’ व ‘धर्म निरपेक्ष’ शब्दों को 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 से जोड़ा गया है। यह संशोधन दिनांक 03.01.1977 से लागू हुआ है। यह वह समय था जब देश में आपातकाल लागू था। देश के नागरिकों के मूल अधिकार लम्बित किये गये थे और एक सीमा तक न्यायालयों के न्यायिक अधिकारों को भी सीमित कर दिये गये थे। इन दो शब्दों के अतिरिक्त एक अन्य शब्द एकता (Unity) को भी जोड़ा गया था; किन्तु विवाद उक्त दो शब्दों के बाबत ही रहा है।

उक्त दो शब्दों को लेकर राजनीति में बंवडर उठ खड़ा हुआ था। कई वर्षों के बाद अब पुनः बबन्डर ने जोर पकड़ा है।

इस बबन्डर की अगि में घी डालने का काम संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने किया है, जिन्होंने पुरजोर शब्दों में उक्त दोनों शब्दों को संविधान से हटायें जाने की पैरवी की है। केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दत्तात्रेय होसबले का समर्थन किया है। दोनों का मानना है कि 42वां संविधान संशोधन आपातकाल की देन है, इन्हें हटाना जाना चाहिये। हाँ, शिवराज सिंह ने यह भी कहा है कि इनको हटायें जाने के बाबत विचार होना चाहिये। देश के उपराष्ट्रपति जगदीश बनखड ने कहा कि उक्त तीनों शब्द अर्थात् ‘समाजवाद’, ‘धर्मनिरपेक्षता’ और राष्ट्र की ‘एकता’ शब्दों के स्थान पर राष्ट्र की ‘एकता तथा अखण्डता’ शब्द रख दिये गये। फलस्वरूप देश में उथल-पुथल हो रहा है। यह कदम संविधान निर्माताओं की मंशा के साथ विपरीतसाधत है।

देश की राजनीतिक पार्टियों में जो आपसी कटुता आई है, उसे देखते हुये कडवाहट व कटुता में जो तीव्रता आई है वह डरावनी दिखती है।

संविधान निर्मात्री सभा की कार्यवाही पर यदि निगाह डालें तो ऐसा प्रतीत होता है कि कानून निर्माताओं के अनुसार समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता (एथं निरपेक्षता) और राष्ट्र एकता उद्देशिका में तथा मूलरूप से निर्मित संविधान के शेष भागों में पहले ही से अन्तर्निहित थे। बोम्बई के केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति रामास्वामी के माध्यम से कहा था, वह हमीचौन है। उन्होंने कहा था –

“उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संचालक ढांचा, राष्ट्र की एकता और अखण्डता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय तथा न्यायिक पुर्नवालोचन संविधान के बुनियादी तत्वों में हैं।”

उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में माना है कि “हमारे संविधान का महत्व उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर निर्मित है, यदि उनमें किसी को भी हटा दिया जावे तो संविधान का ढांचा ही ढ़ह जावेगा और संविधान वही नहीं रहेगा तथा अपनी पहचान ही खो देगा।” इसका अर्थ यह है कि संविधान का अनुच्छेद 3६8 के तहत संशोधन नहीं हो सकता। बेरूबारी व इन्दिरा गांधी बनाम राज नारायण के केस में भी न्यायालय का यही विचार देखा जा सकता है। बेरूबारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। गोलकनाथ के केस में यशस्वी न्यायाधीश हिदायतुल्ला ने कहा उद्देशिका “संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है।” उद्देशिका के बाबत कुछ न्यायाधीश ने माना कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, किन्तु केशवानन्द भारतीय के केस में अधिकांश न्यायाधीशों ने यह माना कि उद्देशिका संविधान का अंग है।

संविधान निर्माता दूरदर्शी थे। उन्हें यह जानकारी थी कि यहाँ कई धर्मों के लोग रहते हैं। उनमें समाजवाद व धर्म निरपेक्षता के अर्थों को पूर्ण समझ था। अतः उन्होंने उद्देशिका में घोषणा की कि हम भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय दिलाना चाहते हैं। उद्देशिका में सामाजिक न्याय को प्रथम स्थान दिया। नीति निदेशक तत्वों के अध्याय में यह कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि समाज को समाजवाद की ओर बढते हुये समता व समानता के आधार पर देश को मजबूत बनाया जावे। इसी प्रकार धर्म निरपेक्षता के संबंध में देश की जनता से अपेक्षा की कि देश के प्रत्येक नागरिक को विचारों की अभिव्यक्ति व धर्म, विश्वास, पूजा विधि को अपनाने की स्वतंत्रता होगी। वे मानते थे कि धर्म ने जहाँ भी राजनीति को स्पर्श किया वही धर्म के प्रति कटुता दिखाई देती है। स्पष्ट किया कि राज्य धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा।

संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि संविधान किसी विचारधारा या वाद विशेष से जुड़ा हो यही कारण था कि उन्होंने समाजवाद शब्द का उल्लेख उद्देशिका में नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने समाजवाद शब्द जोड़ा वह भी आपातकाल के समय; किन्तु स्पष्ट नहीं किया कि उनका समाजवाद से क्या अभिप्राय है। भारत में हमने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का तथा लोहिया जी का समाजवाद देखा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने समाजवाद की नेहरुवादी व्याख्या की आलोचना की है। एम.एस. गोवलकरर जो संघ के दूसरे सरसंघचालक का कोई धर्म नहीं होगा।

संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि संविधान किसी विचारधारा या वाद विशेष से जुड़ा हो यही कारण था कि उन्होंने समाजवाद शब्द का उल्लेख उद्देशिका में नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने समाजवाद शब्द जोड़ा वह भी आपातकाल के समय; किन्तु स्पष्ट नहीं किया कि उनका समाजवाद से क्या अभिप्राय है। भारत में हमने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का तथा लोहिया जी का समाजवाद देखा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने समाजवाद की नेहरुवादी व्याख्या की आलोचना की है। एम.एस. गोवलकरर जो संघ के दूसरे सरसंघचालक का कोई धर्म नहीं होगा।

थे ने समाजवाद को पश्चिमी समाजवाद और धर्म निरपेक्षता को विदेशी विचारधारा माना है। वर्तमान समाजवादी पार्टी ऐसे समाजवाद को तुष्टीकरण वादी मानती है। दत्तात्रेय होसबले व केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह की उक्त दो शब्दों के उद्देशिका में जोड़े जाने के बाबत विवाद पर टिप्पणी का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। अपनी प्रतिक्रिया में राहुल गांधी ने कहा कि दत्तात्रेय को इस बात की चिड़ है कि वे (राहुल गांधी) संविधान, समानता व धर्म निरपेक्षता और न्याय की बात करते हैं। राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया में यह भी कहा कि संघ और भाजपा का असली मकसद संविधान जैसे शक्तिशाली हथियार को दलितों, पिछड़ो व गरीबों से छीनना है ताकि उन्हें फिर से गुलाम बनाया जा सके। वस्तुतः आज की राजनीति में सहिष्णुता कहीं खो गई है।

वर्तमान में संसार भर में धार्मिक सहिष्णुता के विरुद्ध आचरण हो रहा है। जबकि धर्म तो सहनशीलता व सहिष्णुता सिखाता है। हमारे संविधान में धर्म निरपेक्षता राज्य का मुख्य सूत्र है। राज्य से यह अपेक्षा है कि धर्म के मामले में वह हस्तक्षेप नहीं करेगा। देश में सभी धर्मों के लोगों को अन्तःकरण की स्वतंत्रता है। हिन्दू धर्म, मुस्लिम धर्म व ईसाई धर्मों में उन्माद की घटनायें देखने को मिलती हैं। कुछ हिन्दू कट्टर पंथी भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो कहीं मुस्लिम कट्टर पंथी आवाज दे रहे हैं खुद के दूत पैगम्बर का अपमान सहन नहीं करेंगे। हमें सावधान रहना है, धर्म निरपेक्षता के नाम पर उन्माद की संभावित आंधी को रोकना होगा। हमें अपनी गंगा जमुनी संस्कृति को जीवित रखना है। हमारी धार्मिक सहिष्णुता इतनी कमजोर नहीं है कि कुछ लोगों के गलत आचरण से वह कमजोर पड़ जावे। हमें हमारी इस संस्कृति को शान के साथ सिर ऊँचा कर संसार के सामने श्रद्धा से खड़ी रखना है।

उपरोक्त परिस्थितियों के संदर्भ में हमारे सामने कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं, जिन पर हमें गम्भीरता से विचार करना है। दो मुख्य प्रश्न हैं (1) क्या संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है? (2) क्या उक्त दो शब्द ‘सामाजिक’ धर्म निरपेक्षता’ को संविधान की उद्देशिका में जोड़ भी दिये गये हैं, तो क्या इस कारण उद्देशिका की पावन भावना पर विपरित असर हुआ है अतः उसे निकालना अति आवश्यक है?

“समाजवाद’ व धर्म निरपेक्षता’ शब्दों को सन 1976 में संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। सम्भवतः ये दोनों शब्द संविधान के प्रावधानों को पहले ही से थे, को, अधिक महत्व देने के प्रयोजन से जोड़े गये थे, यद्यपि इसकी आवश्यकता नहीं थी। दोनों शब्दों को जोड़ने से पहले भी यानी इनके अभाव में भारत एक समाजवादी धर्म निरपेक्ष राज्य था और भविष्य में भी रहेगा। इन शब्दों को आपातकाल के समय जोड़ा गया था यह सत्य घटना है। इन शब्दों को उद्देशिका में दर्शाना विषय की गम्भीरता को इंगित करता है। नीति निदेशक तत्वों के अध्याय– ८ में यह बतलाया है कि राज्य का कर्तव्य है कि समाज को समाजवाद की ओर ले जाया जावे और समानता व समता के आधार पर देश को मजबूत बनाया जावे। इसी प्रकार धर्म निरपेक्षता के संबंध में देश की जनता से अपेक्षा की है कि देश के प्रत्येक नागरिक को विचारों की अभिव्यक्ति व धर्म, विश्वास, पूजा विधि को अपनाने की स्वतंत्रता होगी।

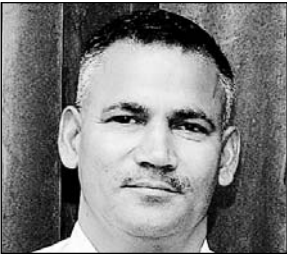
माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों के आधार पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान की उद्देशिका संविधान का सार है और शाश्वत है। संशोधन से पूर्व भी भारत एक समाजवादी, धर्म निरपेक्ष गणतंत्र था और इसके बाद भी भारत समाजवादी धर्म निरपेक्ष राज्य है। कोई भी विपरीत असर इन शब्दों के जोड़ने के कारण भारत के विकास पर नहीं हुआ है। भाजपा ने कोई भी कानूनी कदम इन शब्दों को हटाने हेतु अभी तक नहीं उठाया, क्योंकि संशोधन के लिये उसके पास दोनों सदनों में दो तिहाही मत संभवतः नहीं है।

इन दोनों शब्दों को यदि हम अब हटा भी दें तो भी हमारा संविधान समाजवादी और धर्म निरपेक्ष राज्य ही माना जावेगा। पहले वाला संशोधन असंवैधानिक था तो क्या हम पुनः उन दो शब्दों को निकाल कर असंवैधानिक संशोधन करें? पूर्व संशोधन अवैध था अर्थात् शुन्य था। हमारा संविधान पूर्ण है। पूर्ण से कुछ भी निकला जावे या घटाया जावे फिर भी पूर्ण ही रहता है। यह ईशोपनिषद का शान्ति मंत्र है।

संशोधन करना गलत कदम था। गलती को स्वीकार करने में ही समस्या का समाधान है।

सबको सम्मति दे भगवान!

–अतिथि सम्पादक, पानाचन्द जैन, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट



प्रकाश चंद्र शर्मा

जैसे-जैसे दुनिया सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रही है, सहकारिता एक ऐसी अवधारणा बनकर उभरी है जो इन चुनौतियों से सामूहिक रूप से निपटने का समाधान प्रस्तुत करती है। इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 की थीम “सहकारिता: एक बेहतर दुनिया के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान लाना” न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि वैश्विक विकास के लिए सहयोग की शक्ति को रेखांकित भी करती है।

जयपुर के मुकेश कुमार को दौसा जिले में लगे अंत्योदय शिविर में लाभ मिला

किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति विशेषकर जमीन उसकी और आने वाली पीढ़ियों के लिए रोजी-रोटी, आशियाने और सामाजिक स्वीकृति, भविष्य के स्थायित्व से जुड़ी होती है और इसी कारण इस पर अधिकार और पुरे काजजात बनाये रखना बड़ी चुनौती होती है। जयपुर के मुकेश ने अपने जीवनभर की कमाई से हुई बचत से दौसा जिले में जमीन खरीदी, लेकिन वहां कब्जा लेने गया तो उसके काफी हिस्से पर अतिक्रमण मिला। इससे वह निराश हो गया लेकिन ऐसे ही निराश, कमजोर लोगों को उनका वाजिब हक दिलवाने के लिए भजनलाल सरकार पं. दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सम्बल पखवाड़ा संचालित कर रही है। इन शिविरों में हर वर्ग के व्यक्ति को फायदा मिल रहा है। ऐसे ही शिविर ने चिन्ता दूर की मुकेश कुमार की। दौसा जिले की बसवा पंचायत समिति की चौबड़ी वाला ग्राम पंचायत में लगा शिविर उनकी बरसों पुरानी परेशानी खत्म करने वाला साबित हुआ। शिविर के दौरान राजस्व प्रशासन ने उनकी जमीन से सालों पुराना उलझा हुआ अतिक्रमण हटाकर जमीन पर पत्थरगढ़ी करवाकर राहत दी।

जयपुर में पत्थररू इलाके के रहने वाले मुकेश कुमार वेद ने कोलेश्वर खुर्द में कई साल पहले जमीन खरीदी थी। इस जमीन पर पड़ोसी खातेदारों के

बीच मतभेद चल रहे थे, जिन्होंने उनकी जमीन के कुछ हिस्से पर अतिक्रमण कर रखा था। मुकेश कुमार ने रेकार्ड के मुताबिक उनसे अतिक्रमण हटवाने के काफी प्रयास किए लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अन्त में उन्होंने उपखण्ड अधिकारी के राजस्व न्यायालय में वाद दायर किया। इस दौरान वह जयपुर से बार-बार आने-जाने से भी काफी परेशान होते रहे।

मुकेश कुमार को जब ग्राम पंचायत में शिविर लगने की जानकारी मिली तो उन्होंने प्रशासन से सीमा ज्ञान कराकर पत्थरगढ़ी कराने का आग्रह किया। इस पर बसवा उपखंड अधिकारी रेखा मीणा ने संवेदनशीलता दिखाते हुए राजस्व टीम को प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करवाने के निर्देश दिए। बसवा तहसीलदार अन्नू शर्मा एवं उनकी टीम ने अतिक्रमियों से समझाईश की और सीमा ज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही पूरी करवाई। प्रशासन का शांतिपूर्ण पत्थरगढ़ी करवाना प्रशंसनीय कार्य :- अपनी जमीनी की कार्यवाही होने से प्रसन्न मुकेश कुमार ने कहा कि प्रशासन ने गांव के कई लोगों के विरोध के बावजूद समझाइश कर शांतिपूर्ण ढंग से पत्थरगढ़ी का कार्य करवा दिया जो बहुत ही प्रशंसनीय है। उन्होंने यह अभियान चलाने के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए उपखंड

अधिकारी रेखा मीणा, तहसीलदार अन्नू शर्मा, गुवा कटला नायब तहसीलदार बाबूलाल मीणा, पटवारी सुमेर सिंह गुर्जर एवं उनकी पूरी राजस्व टीम की सराहना की।

दो भाइयों के आपसी रजाबंदी से हुआ जमीन बंटवारा :-बैजुपाड़ा पंचायत समिति की निहालपुरा ग्राम पंचायत में लगे शिविर के दौरान राजस्व टीम ने दो भाइयों के आपसी रजाबंदी से जमीन का बंटवारा कर राहत पहुंचाई। रामजीलाल एवं हरिराम बलाई को जब गांव में शिविर लगने की जानकारी मिली तो दोनों भाइयों ने ठीकरिया गांव में स्थित कृषि भूमि का

जैसलमेर के किले की दीवार का कार्य जनता के लिये जी का जंजाल बना

जैसलमेर। जैसलमेर के किले की दीवारें विशाल पीले बलुआ पत्थर से बनी होने से तथा घाँया पत्थर की पहाड़ी पर टिकी हुई है। 11 माह पूर्व जैसलमेर के सोनार किले की दीवार का एक हिस्सा गिर गया था। किले की दीवार से बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे, जिससे वहां काम कर रहे दो मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। पत्थरों के गिरने से बैरिकेड और बीएसएनएल का पोल भी टूट गया था। यह घटना किले की दीवार के जर्जर हालत और बारिश के कारण हुई है। स्थानीय लोगों और अधिकारियों का कहना है कि नगरपरिषद द्वारा बिना अनुमति के किले की दीवार में छेड़छाड़ की जा रही थी, जिससे दीवार की नींव कमजोर हो गई और यह घटना हुई।

जैसलमेर का सोनार किला, जिसे गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और 868 साल पुराना है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दीवार के अंदर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है और नियमित सफाई



जैसलमेर दुर्ग की नीव के आगे घटिया कार्य हो रहा है।

भी नहीं होती, जिससे पानी जमा हो जाता है और दीवार कमजोर हो जाती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने नगरपरिषद को दीवार में छेड़छाड़ बंद करने के लिए नोटिस दिया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई

नहीं की गई है। इस घटना से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है और वे प्रशासन से किले के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।

नगर के मौजिज गोवंदलाल ने बताया कि पिछले कई दिनों से

अधिकारी रेखा मीणा, तहसीलदार अन्नू शर्मा, गुवा कटला नायब तहसीलदार बाबूलाल मीणा, पटवारी सुमेर सिंह गुर्जर एवं उनकी पूरी राजस्व टीम की सराहना की।

आपसी रजाबंदी से विभाजन कराने के लिए शिविर प्रभारी के समक्ष प्रार्थना-पत्रा प्रस्तुत किया। शिविर प्रभारी ने तुरंत पटवारी को मौके पर भेजकर उनका विभाजन प्रस्ताव तैयार कराया और इसे शिविर में ही स्वीकृत कर दिया। कास्टकारी अधिनियम 1955 की धारा-53 के तहत वर्षों बाद जमीन का विभाजन होने से दोनों भाई काफी खुश नजर आए।

बहरावंडा तहसील में गढ़ ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर के दौरान चौध्या बैरवा के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में दुरुस्त कर राहत दी। चौध्या ने रेकार्ड में पिता का नाम गलत होने

उन्हें नेतुत्व भी प्रदान करें।

सहकारिता: पूंजी नहीं, व्यक्ति केंद्रित मॉडल सहकारी समितियाँ पूंजी पर नहीं, बल्कि लोगों पर केंद्रित होती हैं। यह प्रणाली धन के केंद्रीकरण को रोकती है और संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करती है। यह स्थानीय आपूर्ति, निर्णय प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी, और टिकाऊ विकास की दिशा में ठोस कदम है।

निष्कर्षतः – “सहकारिता केवल एक आर्थिक संरचना नहीं है, यह एक सामाजिक दर्शन है।” यह दर्शन हमें सिखाता है कि आपसी सहयोग से हम वैश्विक समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं और एक समावेशी, न्यायपूर्ण

तथा टिकाऊ समाज का निर्माण कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 न केवल सहकारिता की उपलब्धियों को

पहचानने का दिन है, बल्कि यह भविष्य के निर्माण की दिशा में एक सामूहिक संकल्प का भी प्रतीक है।

—प्रकाश चंद्र शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार